न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ राज0

पीठासीन अधिकारी— श्री मांगीलाल रेगर , आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या—94 बी /2014 दिनांक 12—02—2018

उनवान

1. करण सिह पुत्र मागूंसिहं राजपूत निवासी नाहरगढ तहसील भदेसर

................वादी

।। बनाम ।।

1. रसालकुंवर पत्नी प्रेमसिहं राजपूत निवासी नाहरगढ
2. सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौडगढ़

.........प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53,188,209रा0 का0 अधि0 1955

हस्तगत वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वादपत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 53,188 ,209 की धारा के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया मोजा नाहरगढ की खाता संख्या 39 की आ0न0 1073 रकबा 7 बीधा भूमि वादी करणसिहं एवं नन्दसिहं के संयुक्त खाते में दर्ज रेकार्ड थी नन्दसिह ने अपना हिस्सा रसालकुंवर को विक्रय कर दिया जिसकी रजिस्ट्री दिनांक 3.11.2006 है । उक्त आराजी नाहरगढ से भदेसर जाने वाली मुख्य सडक के पश्चिम दिशा में स्थित है । उक्त आराजी मे वादी का 1/2 हिस्सा निहीत है जिसका मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन कराया जावे ।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया । बाद कार्यवाही दिनांक 25—09—2017 को प्राथमिक स्तर पर डिक्री किया गया तथा वाद वर्णित मौजा नाहरगढ की वादवर्णित आराजीयात का विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार भदेसर को कमीशनर नियुक्त किया गया । आदेश की पालना में तहसीलदार भदेसर द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया जिसका अवलोकन किया गया जो माफिक आदेश होकर इसी अनुसार अन्तिम रूप से डिकी किये जाने में कतई आपत्ति नहीं होने से हस्ब फर्द बंटवारा वाद वादी निम्न अन्तिम रूप से डिकी किया जाता है तथा मौजा ~~[illegible]~~ नाहरगढ़ की विवादित आराजीयात का हस्ब फर्द बंटवारा पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है तथा अलग अलग खातेदारी में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.17 14:47:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

मौजा– नाहरगढ

क्र. स.	नाम खातेदार	आराजी नम्बर	रकबा	लगान
1	श्री करणसिह पिता मांगूसिह राजपूत निवासी नाहरगढ के हिस्से में रहेगी	1110 मी	0.85	चाही । 22.95 (0.84) बीड 0.04 (0.01)
	योग	किता–1	0.85	22.99
2	श्रीमति रसालकुंवर पत्नी प्रेमसिह राजपूत निवासी नाहरगढ के हिस्से में रहेगी	1105 1106 1107 1101/1	0.01 0.54 0.19 0.05	0.48 14.58 5.13 2.08
	योग	किता–4	0.8400	22.27
3	श्री करणसिह पिता मांगूसिह राजपूत, श्रीमति रसालकुंवर पत्नी प्रेमसिहं राजपूत निवासी नाहरगढ के संयुक्त खातेदारी में रहेगी	1108	0.08	– चाह

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे । इसी आशय का पर्चा डिक्री अलग से मुर्तिब किया जावे । निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर सुनाया गया ।

1/2/13

(मांगीलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.03.17 14:47:03 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner